राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1855/2025

राकेश कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायती राज, जयपुर।
2. उप आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय), ग्रामीण एवं पंचायती राज, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सीकर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति धोंद, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.02.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी/हरि प्रसाद शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति धोंद, जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया है। क्षेत्रीय विधायक द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 में संशोधन करवाने हेतु एक पत्र भेजा गया। पंचायत समिति धोंद से संबंधित प्रधान से स्वीकार किया कि दिनांक 15.01.2025 के इस स्थानान्तरण आदेश के लिए उनसे कोई सहमति/परामर्श नहीं लिया है। अपीलार्थी द्वारा अपना स्थानान्तरण करवाने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम–1996 के नियम 290 (i) का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी भी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फोगरी ब्लॉक मोलासर जिला नागौर में कार्यरत है (अनुलग्नक–7)। उनका कथन है कि पति–पत्नी की नियुक्ति

निकटवर्ती स्थान पर होनी चाहिए। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने ऐसा नहीं कर अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण किया है, जो अनुचित एवं मनमाना है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है, अपीलार्थी की माताजी काफी वृद्ध है, जो कई बीमारियों से ग्रसित है। अपीलार्थी की पुत्री 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है, मध्य सत्र में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाता है तो अपीलार्थी की पुत्री की पढ़ाई प्रभावित होगी (अनुलग्नक–8)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति धोंद जिला सीकर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 02 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य